

2015/00055

211751

14/9

24/11

4/1

24/2

18/4

4/2

3/10

7/11

12/12

30/11

6/3

3/4

20/3

17-4

15/5

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाडा.)

—:सरवरक:—

(कायदा 129)

(General Rules (Civil), Rule 129, Appendix B Form No. 8)

- 1 भाग अदालत - सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा
- 2 क्रिम मुकदमा - प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा -212 आर०टि०ए०
- 3 अनवान मुकदमा
श्रीमती कमला पत्नी धर्मा गुर्जर बनाम नारायण पिता दुस्मा गुर्जर
नि-उपिया खेडा नि-उपिया खेडा
- 4 नम्बर व रान् मुकदमा - 39/2015
- 5 तारीख दापर - 24/08/2015
- 6 तारीख फेरता - 10/6/2017
- 7 तारीख दाखिल होने मुदाकिज्याना -
- 8 अदील या निगरानी की तारीख फेरता -
- 9 क्रिम निमत या हिस्सा -
- 10 क्रिम रेकार्ड -
- 11 (अ) तारीख जित पर कि हिस्सा 'डी' तलक करना है _____
(ब) तारीख जित पर कि हिस्सा 'डी' तलक किया गया _____
- 12 (अ) तारीख जित पर कि हिस्सा 'सी' तलक करना है _____
(ब) तारीख जित पर कि हिस्सा 'सी' तलक किया गया _____
- 13 (अ) तारीख जित पर कि हिस्सा 'बी' तलक करना है _____
(ब) तारीख जित पर कि हिस्सा 'बी' तलक किया गया _____
- 14 (अ) तारीख जित पर कि हिस्सा 'ए' तलक करना है _____
(ब) तारीख जित पर कि हिस्सा 'ए' तलक किया गया _____


श्रीदिनेश तिवारी । ले३

श्री महेश चन्द्र पाण्डेय

10/6/2017

पञ्जाबी आज लोक अदालत केम कोर्ट
गाभेज पर पेश हुई । वकील उभयपक्ष उपस्थित है ।
वकील प्रार्थी को इस्तुआ करने पर वकील उभयपक्ष
को बहस सुनी गई । वक्त बहस वकील प्रार्थी ने
अपने प्रार्थनापत्र में शीकित तथ्यों को दोहराते हुये
अन्त में कथन किया कि प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार
करमाथा जाकर अर्थात् को पठवन्द करमाथा जाये ।

अर्थात् वकील अर्थात् का कथन था कि
अर्थात् सं०-1 केद्वारा किसी प्रकार से अपेक्षित व गलत
द्वानं अर्थात् सं०- 2 व 3 को नहीं किया गया है
धोल्क बहसियत छात्वार विप्रय किया गया है ।
अलिस विपक्षी सं०-1 द्वारा विपक्षी सं०- 2 व 3
को किये गये विप्रय को चुनौती देने का कोई ———


सहायक कलेक्टर
(S. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

है। जिनका उक्त

कमला गोपाल

लगातार —2—

अधिकार नहीं है। प्रिजिडिंग का आराजी मुक्त विद्या पर जायज व वैध रूप से कब्जा कायम है, प्रार्थी का कोई कब्जा नहीं होने से प्रार्थनापत्र प्रार्थी जातिरत फरमाया जायें।

श्री वशील उभयवर्ग को वदत को रना। वदत पर भंग किया। पत्रावली पर उपलब्ध वस्तुधेजात का अध्ययन किया। तदनुसार प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वाकार किया जाया न्यायालय उचित समझता है।

आदेश

प्रार्थनापत्र प्रार्थीका स्वाकार किया जाकर मूल बाव के निस्तारण तक किसी मुं०- 1 से 3 को जाटवे अस्थावी निवेदाश से पाकिन्क किया जाता है कि वह मौजा धमियाजीवा, पटवार हल्का नागेडा तहसील हुडा की आराजी मुं०- 30, 39, 55, 66, 74, 83, 91, 168, 193, 192, 216, 243, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, फिता-22 रखा 61 दीया 11 कित्वा भूमि के राजस्व रेकार्ड को यथा स्थिति बनाये रखे। पत्रावली शुमार फेरात होकर दांजाल वफतार रहे। आदेश आज दिनांक 10/6/2017 को जजों लोक अदातत कैम कोर्ट नागेन पर पुनाया गया।

112



सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) ग्वालियर
जिला-ग्वालियर।